



बुधवार, 3 अगस्त, 2022

तत्काल प्रकाशन हेतु

नई दिल्ली

खास एडवाइजरी: टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने पतंगबाजी के शौकीनों से पतंगे उड़ाने के दौरान एहतियात बरतने का किया अनुरोध

- राखी और स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कंपनी ने लोगों को पतंगें उड़ाने के बारे में सावधानी बरतने और सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह देते हुए इस संबंध में स्कूलों के साथ ऑनलाइन सेशन आयोजित किए हैं, साथ ही, एफएम कैम्पेन के ज़रिए भी लोगों को सुरक्षा बरतने की सलाह दी जा रही है
- पतंगबाजी के शौकीनों को ओवरहेड बिजली की तारों तथा खंभों आदि से दूर रहने के बारे में जानकारी दी
- मेटल कोटेड मांझों के बिजली की तारों-खंभों में उलझने से अस्पतालों एवं अन्य जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल दिल्ली जल बोर्ड डीएमआरसी के लिए बिजली सप्लाई हो सकती है बाधित
- इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से जुड़े किसी भी असुरक्षित परिस्थिति/दुर्घटना की सूचना 19124 पर देने का किया अनुरोध

अग्रणी यूटिलिटी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने, जो कि नॉर्थ दिल्ली में 7 लाख की आबादी के लिए बिजली सप्लाई करती है, आगामी त्योहारों के मद्देनज़र, दिल्लीवासियों से बिजली के खंभों और ओवरहेड बिजली तारों से बचकर पतंगबाजी करने का अनुरोध किया है।

पतंगों को उड़ाने के लिए प्रयोग में आने वाला मांझा बिजली का सुचालक होता है और अक्सर यह ओवरहेड लाइव वायर के संपर्क में आने पर हाइ वोल्टेज बिजली ट्रांसमीट कर सकता है। मेटल कोटेड मांझों के बड़े पैमाने पर प्रयोग करने से न सिर्फ पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति की जान को खतरा होता है बल्कि इसकी वजह से आसपास की बिजली सप्लाई में भी बाधा पहुंच सकती है। दिल्ली में प्रायः स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग पतंगबाजी करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 33/66 KV क्षमता की ओवरहेड लाइन के ट्रिप होने से इलाके के करीब 10,000 बाशिंदों की बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है जबकि सिंगल 11 KV लाइन में व्यवधान होने से करीब 2500 निवासियों की बिजली सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पतंगों की वजह से बिजली केबलों को होने वाले नुकसान को ठीक करने में 15 मिनट से 2 घंटे तक का समय लग सकता है।

हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें पतंगों को उड़ाने की वजह से तारें टूटती हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि पावर सप्लाई को बाधित करना और पावर इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचाना इलैक्ट्रिसिटी एक्ट तथा दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

पतंगबाजी संबंधी महत्वपूर्ण सलाह:

- बिजली के खंभों और ओवरहेड तारों के नज़दीक पतंगें न उड़ाएं
 - बिजली के तारों/नेटवर्क में उलझे मांझे को न छुएं
 - सड़कों या ट्रैफिक के नज़दीक पतंगें न उड़ाएं
- मेटल कोटिंग वाले मांझे का प्रयोग नहीं करें क्योंकि इसकी वजह से ट्रिपिंग हो सकती है या करंट लग सकता है
- पतंगों को उड़ाने के लिए केवल सूती मांझा या अन्य किसी ऐसे नैचुरल फाइबर का प्रयोग करें जिसमें मेटल या ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया हो

मांझे पर प्रायः कांच और धातु के कणों की परत चढ़ी होती है जिसकी वजह से इंसानों के अलावा पक्षियों एवं अन्य पशुओं को भी नुकसान पहुंच सकता है। सरकार ने 2007 से मांझे का प्रयोग प्रतिबंधित किया हुआ है। इस संबंध में जारी सरकारी आदेश में, पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे का इस्तेमाल करने को मंजूरी दी गई है, जिसपर किसी किस्म की धातु का प्रयोग नहीं किया गया हो।

इस बारे में, **श्री सुब्रत दास, चीफ-ऑपरेशंस एंड सेफ्टी, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड** ने कहा, "हमारे उपभोक्ताओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। असुरक्षित तरीके से पतंगें उड़ाने की वजह से पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसके कारण गंभीर चोटें, शारीरिक नुकसान, मौतें या अन्य दुर्घटनाओं के अलावा ट्रांसमिशन तारों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी से जिम्मेदारी के साथ इस पर्व को मनाने तथा इस दौरान भरपूर सुरक्षा उपायों का पालन करने का अनुरोध करते हैं।"

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड असुरक्षित तरीके से पतंगबाजी करने के खतरों के बारे में आम जनता को आगाह करने के लिए एक एफएम कैम्पेन भी चला रही है। साथ ही, कंपनी की मैस्कॉट रौशनी के माध्यम से सोशल मीडिया कैम्पेन भी चलाया जा रहा है जो लोगों को पतंग उड़ाने के दौरान सावधानियों का पालन करने के लिए जरूरी नुस्खों के बारे में क्रिएटिव्स एवं वीडियो के ज़रिए जानकारी देती है। कंपनी राजधानी के कई स्कूलों के साथ मिलकर, स्कूली छात्रों को भी पतंगों को उड़ाने के दौरान बरती जाने वाली जरूरी बातों की जानकारी ऑनलाइन सेशन के माफ़त दे रही

है। साथ ही, कंपनी ने अपने इलाके में प्रमुख स्थानों पर बैनर भी लगाए हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक बनाया जा रहा है।

कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले, अपनी परिचालन एवं रखरखाव टीमों को भी पतंगबाजी के इस मौसम के मद्देनजर लगातार सजग और सतर्क रहने को कहा है। उपभोक्ता किसी भी असुरक्षित परिस्थिति या दुर्घटना की जानकारी कंपनी के 24x7 हैल्पलाइन नंबर 19124 पर दे सकते हैं।

और जानें:

फेसबुक: <https://www.facebook.com/TataPower.DDL/>

ट्विटर : https://twitter.com/tatapower_ddl

इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/tatapower_ddl/

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के बारे में:

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर-डीडीएल) प्रमुख डिस्कॉम है जो इंफॉर्मेशन एवं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सेवाओं की मदद से, नॉर्थ दिल्ली में करीब 70 लाख की आबादी के लिए पावर सप्लाई करती है। कंपनी ने देश की राजधानी में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी और सभी वर्टिकल्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपनाकर बिजली वितरण के परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाया है। यह देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सार्वजनिक-निजी साझेदारी वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी है। निजीकरण के बाद से, टाटा पावर-डीडीएल के इलाकों में एकीकृत टेक्निकल एंड कॉमर्शियल (एटीएंडसी) नुकसान में रिकॉर्ड कमी आई है। वर्तमान में एटीएंडसी नुकसान 7% है, जिसमें जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान से 86% तक की अप्रत्याशित कमी आई है। और जानकारी के लिए देखें www.tatapower-ddl.com/

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स:

सोनिया सरीन (9910292599)

वसुधा (7042902779)

मैडिसन पीआर:

वरुण भारद्वाज (9599994592)



